कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०—834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः—........1728........./ दिनांकः—25.08.2020

बन्दोबस्ती की सूचना

जयपाल सिंह स्टेडियम के दक्षिण भाग में नव—निर्मित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के द्वितीय तल में निगम स्वामित्व की 28 दुकानों को मासिक किराये पर आंवटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है। दुकानों का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की Base price 40/— रू0 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 1,000/— रू0 प्रति वर्गफीट के दर से बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। दुकान का क्षेत्रफल एवं निविदा का आमंत्रण निम्न प्रकार से है:—

क्रम सं0	दुकान संख्या	दुकान का क्षेत्रफल	जमानत की राशि	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
1	04	169	169000	दिनांक 18.09.2020 अपराह्न 1:00 बजे तक	दिनांक 18.09.2020 अपराह्न 03:00 बजे
2	06	169	169000		
3	14	169	169000		
4	16	169	169000		
5	18	156	156000		
6	34	160	160000		
7	38	112	112000		
8	40	112	112000		
9	42	136	136000		
10	45	182	182000		
11	47	169	169000		
12	49	156	156000		
13	55	171	171000		
14	56	180	180000		
15	59	160	160000	दिनांक 19.09.2020 अपराह्न 1:00 बजे तक	दिनांक 19.09.2020 अपराह्न 03:00 बजे
16	60	152	152000		
17	61	169	169000		
18	62	156	156000		
19	63	169	169000		
20	65	156	156000		
21	67	182	182000		
22	68	169	169000		
23	71	169	169000		

Scanned with CamScanner

24	73	169	169000	दिनांक 19.09.2020 अपराह्न 1:00 बजे तक	दिनांक 19.09.2020 अपराह्न 03:00 बजे
25	75	154	154000		
26	99	204	204000		
27	103	169	169000		
28	105	169	169000		

नोट –1. आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय से 500/– रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

2. कंडिका 1 से 14 तक के लिए दिनांक 18.09.2020 को 01.00 बजे तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसी तिथि को 03.00 बजे बन्दोबस्ती हेतु बोली लगायी जायेगी।

3. कंडिका 15 से 28 तक के लिए दिनांक 19.09.2020 को 01.00 बजे तक आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसी तिथि को 03.00 बजे बन्दोबस्ती हेतु बोली लगायी जायेगी।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्त्ते निगम वेब–साईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची ।

निविदा की शर्ते।

1 डाक की Base price 40/-रू0 (कर अतिरिक्त) प्रतिवर्गफिट प्रतिमाह है।

2 आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक 500/-रू0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

3 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।

4 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 1,000/-रू0 प्रति वर्गफीट की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

5 सफल निविदादाता को जमानत कि राशि के रूप में 03 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा तथा जमानत की राशि भी समायोजित कर ली जायेगी।

6 निविदा प्रस्ताव में दुकान संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

7 आवंटन अवधि 10 वर्ष के लिए मान्य होगा।

8 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।

9 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

10 डाक के एक सप्ताह में एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।

11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात, (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र का छायाप्रति) प्रस्तुत करना होगा।

12 प्रत्येक माह के 10 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।

13 दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

14 दुकान आवंटन रद्द किये जाने या दुकान छोड़ने की स्थिति में जमानत कि राशि वापस कर दी जायेगी। परन्तु दुकान खाली करने के एक माह पुर्व निगम कार्यालय को सूचित करना होगा।

15 किसी प्रकार की मरम्मत्ति या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16 दुकान का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होगे।

17 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।

18 Bidding दुकान के मासिक किराया निर्धारण हेतु होगा।

19 Govt/PSUs संस्था छोड़ सभी निविदादाता को Pre-bid EMD जमा करना अनिवार्य होगा।

20 सफल डाकवक्ता का Pre-bid EMD, Security Deposit में परिवर्तित किया जायेगा, अगर सफल डाकवक्ता तय समय-सीमा में एकरारनामा करने में असफल होते है तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

21 निर्धारित मासिक किराया प्रति तीन वर्ष में 10% वृद्धि की जायेगी।

22 मासिक किराया के अतिरिक्त Maintanance चार्ज नियमानुसार देय होगा।

23 सफल बिडर द्वारा दो महीना का मासिक किराया जमा नहीं किये जाने पर एकरारनामा रद्द किया जायेगा एवं उनका Security deposit/Advance जब्त कर लिया जायेगा।

24 यदि सफल बिडर (Govt/PSU के अतिरिक्त) अपना स्थान 1 वर्ष पश्चात रिक्त करता है तो उनका Security Deposit निगम के द्वारा बिना interest वापस कर दी जायेगी, बशर्ते उनके कोई भी बकाया निगम में न हो। एक वर्ष के पूर्व स्थान रिक्त करने पर Security Deposit जब्त कर लिया जायेगा।

25 किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरानामा रद्द करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

26 Sub leasing/sub letting की अनुमति नहीं दी जायेगी।

27 दुकान का विज्ञापन JMA rule 2011 के अनुरूप होगा।

28 बिजली बिल का भुगतान सफल डाकवक्ता के द्वारा किया जायेगा।

29 बाजार शाखा से आवेदन प्रपत्र क्रय का रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन प्रपत्र क्रय करने वाले व्यक्ति ही निविदा में भाग ले सकते है।

24.8.2022

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

Scanned with CamScanner